



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11112024-258575
CG-DL-E-11112024-258575

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4494]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 11, 2024/कार्तिक 20, 1946

No. 4494]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 11, 2024/KARTIKA 20, 1946

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2024

का.आ. 4875(अ).—केंद्रीय सरकार सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम 2021 की धारा 3 और सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम 2021 की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए और दिनांक 15 सितंबर, 2023 की समसंख्यक अधिसूचना के अधिक्रमण में एतद्वारा सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम 2021 और सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम 2021 के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड की परिशोधित संरचना को दिनांक 4 मई, 2022 की समसंख्यक अधिसूचना के पैरा (च) को प्रतिस्थापित करके निम्नानुसार अधिसूचित करती है:-

(च) चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्यों के अध्यक्ष, सदस्य के रूप में, पदेन;

[फा. सं. यू.11019/03/2022-एचआर (पार्ट)]

ऋचा खोड़ा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**(Department of Health Research)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th November, 2024

S.O. 4875(E).— In exercise of the power conferred by Section 3 of the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act, 2021 and Section 17 of the Surrogacy (Regulation) Act, 2021 and also in supersession of notification of even no. dated 15th September, 2023, the Central Government hereby notifies the revised composition of National Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board for the purposes of the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act, 2021 and the Surrogacy (Regulation) Act, 2021 by replacing Para (f) of the notification of even No. dated 4th May, 2022 as under :-

(f) Chairpersons of the States of Chandigarh, Chhattisgarh, Tamil Nadu and Telangana as Members, ex officio;

[F. No. U.11019/03/2022-HR (Part)]

RICHA KHODA, Jt. Secy.